धारा - 53
RTA

8/16 हेमतदान v/s पन्नालाल

25/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अभिवक्ता उप-1 वादी आशिवक्ता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की प्रति पेश करते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक-हितों का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर दिया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 (2)(ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों की पालना पूर्ण नहीं कर पाने के कारण खारिज योग्य है। पत्रावली में प्रतिवादी आशिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई परन्तु प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी आशिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 खातेदार नहीं है, साथ ही प्रतिवादी सं. 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादपत्र में क्लेम छूट को भी खारिज किया जाता है।

पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खातेदार काश्तकार नहीं रहने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2)(ii) के आवश्यक प्रावधानों की पालना पूर्ण नहीं होने से तथा प्रतिवादी सं. 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा दावे में प्रस्तुत क्लेम छूट को सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों के प्रावधानों की पालना पूर्ण नहीं होने तथा प्रतिवादी सं. 2 के अनुपस्थित रहने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पत्रावली जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

25/11/24
सहायक कलक्टर
झालावाड़